रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275889
CG-DL-E-01092026-275889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948
No. 693] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई , 2026

सा.का.नि. 759(अ).— केंद्रीय सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (यठ) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन सभी सात विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं.- कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त।	7*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, सचिवीय।	स्तर - 14 (रु. -144200 (218200	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: चाहे वह सीधी भर्ती हो, प्रोन्नति हो, प्रतिनियुक्ति हो या आमेलन हो, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दिशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	खोज-सह-चयन समिति की संरचना।	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधिकारी,- (क) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक डिग्री; और (ii) प्रशासनिक मामलों, व्यापार, उद्योग और वित्त के क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का संयुक्त अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणत: पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	खोज-सह-चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : - (1) सचिव, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष; (2) अपर सचिव, वाणिज्य विभाग - सदस्य; (3) अपर सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग - सदस्य; (4) अपर सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-8/1/2015-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 759(E).— In pursuance of sub-section (1) of section 11 read with clause (zl) of sub-section (2) of section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Development Commissioner in the Special Economic Zones under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Development Commissioner, Special Economic Zones Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,-

   or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Development Commissioner of Special Economic Zone.	7*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level 14 (Rs. 144200-218200)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	Composition of Search – cum- Selection Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government,- (A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience:-- (i) Bachelor's Degree from a recognised university or institution; and (ii) having fifteen years of combined experience in the field of administrative matters, trade, industries and finance. **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty eight years as on the last date of receipt of applications.	**Search –cum- Selection Committee consisting of.–** (1) Secretary, Department of Commerce – Chairman; (2) Additional Secretary, Department of Commerce – Member; (3) Additional Secretary, Department of Promotion of Industry and Internal Trade – Member; (4) Additional Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-8/1/2015-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.01 12:06:27 +05'30'